न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पीठासीन अधिकारी मनसुख राम डामोर, आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्याः– 336/2010 वाद
दायर दिनांकः– 17.02.2010
निर्णय दिनांकः– 17.02.2021

–: अनवान : –

1. कन्हैयालाल पिता उदयलाल नाई जाति नाई निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा

–वादी

–: बनाम :–

1. प्रभुलाल पिता देवकिशन नाई जाति नाई निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा
2. कमला पत्नि मीठूलाल नाई जाति नाई निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा
3. रामचन्द्र पिता मीठूलाल नाई जाति नाई निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा
4. पुरण पिता मीठूलाल नाई जाति नाई निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा
5. राजू पिता मीठूलाल नाई जाति नाई निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा
6. मंजु पिता मीठूलाल नाई जाति नाई निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा
7. लीला पिता मीठूलाल नाई जाति नाई निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा
8. संतरा मीठूलाल नाई जाति नाई निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188

–: निर्णय :–

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा बाबत् वाद स्वत्व घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जाकर ग्राम दरीबा में वर्तमान खाता संख्या 85 में खसरा सख्या 384 , 385, कुल रकबा 8.11 बिघा भुमि स्थित है वाद पत्र के पेरा सख्या 01 में वर्णित भूमि के खसरा सख्या 384 के पुराने साबित नम्बर 200/01 मीन तथा आराजी सख्या 385 के पुराने साबिक नम्बर 200/01 मीन एवं 196 मीन 197 मीन थे वादी एंव प्रतिवादी सख्या 01 से 08 कि पेतृक मौरूसी जायदाद है । जो बाप दादाओ के समय से चली आ रही है और उनके सर्वगवास के बाद वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 से 08 इस भुमि पर काबिज को कर उपयोग एंव उपभोग एवं काश्त कर रहे है वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 08 सभी हिन्दु होकर हिन्दु विधि से शासित होते है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पूर्वाधिकारी धन्ना पिता रामा के नाम पर राजस्व रिकार्ड में मेवाड गोवरमेन्ट के समय दर्ज चली आ रही है और धन्ना इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे थे उनके स्वर्गवास के बाद भुमि धन्ना के दोनो पुत्र नन्दा एवं उदयराम के नाम दर्ज हुई और उन्होने अपने जीवन काल में काबिज होकर काश्त की । नन्दा एंव उदयराम के स्वर्गवास के बाद उनके वारीसान उतराधीकारी अर्थात वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 08 उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग – उपभोग कर रहे है एवं काश्त कर रहे है पैरा संख्या 01 वर्णित भूमि में वादी का एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का समान – समान हक अधिकार है अर्थात वादी का उक्त भूमि में 1/2 आधा हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का आधा हिस्सा है वादी ने अपने हिस्से कि भूमि में एक कुआ भी तैयार कर रखा है जिससे उक्त आराजी एवं अन्य आराजी कि सिचाई होती है कुए पर वादी ने अपने नाम से विद्युत संबंध भी प्राप्त कर रखा है उक्त कनेक्शन कराए करीब 20–22 वर्ष हो चुके है आज भी वादी इस भुमि पर काबिज होकर कुए से सिचाई कर काश्त कर रहा है वादी ने अपने हिस्से की भुमि पर काफी लागत लगाकर इसे विकसित किया है हजारो रूपये लगाकर सिचाई के लिए कुआ खोदा है और विद्युत संबंध करवाया है । लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि में वादी का नाम अकंन होने से रह गया है जबकि वादी मौके पर काबिज है और उक्त भूमि में वादी का 1/2 आधा हिस्सा है वादी सअधिकार पूर्व इस भुमि पर पिछले 40–50 वर्षो से काबिज होकर उपयोग–उपभोग एवं काश्त कर रहा है इससे पुर्व वादी क पिता काबिज होकर उपयोग – उपभोग एंव काश्त करते रहे हैं वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 से 08 ये जानते है और स्वीकार करते है कि वादी का उक्त भुमि में 1/2 हिस्सा है वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है वादी के नाम पर भूमि दर्ज नही होने से वादी अपने हक अधिकार एंव कब्जे आधिपत्य कि भूमि अपना नाम अकिंत कराने का अधिकारी है वादी उपरोक्त परिस्थिति में उपरोक्त वर्णित आधारों पर अपने खातेदारी अधिकारों कि घोषणा करवाने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के नाम पर दर्ज होने से उसका वे नाजायज फायदा उठाना चाहते है और भूमि को अवैध रूप से अन्तरण करने तथा वादी को बेदखल करने कि धमकी दे रहे है प्रतिवदी संख्या 01 से 08 के विरूद्ध इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है कि वाद पत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित भूमि जो वादी के हक अधिकार एवं हिस्से कि है वादी के उपयोग – उपभोग कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट बाधा दखलन्दाजी पैदा नही करे वादी को भुमि की मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे , भुमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बय बक्षीय अनुबन्ध या अन्य अन्तरण विलेख के जरिये अन्तरित नही करे राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वंम करे न ही अपने मिलने वाले नौकर , चाकर , ऐजेन्ट के जरिये ही करावे । यदि उपरोक्त भॉमि की निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी नही होती है तो वादी के वैद्य हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा । वादी को ऐसी अपुरणीय क्षति होगी। वादी प्रतिवादी संख्या 01 से 08 अब भूमि को संयुक्त नही रखना चाहता है अपने हिस्से का विभाजन करा अपने हिसाब से भूमि को विकसीत करना चाहता है जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नही हो । वाद हैतुक प्रतिवादीगण द्वारा वादी की समझाइस पर भी भूमि वादी के नाम दर्ज कराने के लिए सहमत नही है। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जावे व

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादग्रस्त आराजीयात जिसका पुरा विवरण वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित किया गया है में वादी का 1/2 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें । इस हेतु वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि जब तक वादग्रत आराजीयात का विधिवत विभाजन होकर भूमियॉ पृथक – पृथक रूप से नाम पर अंकित नही हो जावे तब तक प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात अथवा इनके किसी भी भाग को अन्य किसी को रहन, बय बक्षीय विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें। प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल ही करे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे । उक्त कार्य प्रतिवादीगण अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट या अन्य किसी के जरिये ही करावें । दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देवे व राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन कर देवे तो वादी को पुनः कब्जा दिलाया जाकर प्रतिवादीगण के खर्चे से पूर्ववत् स्थिति कायम कराई जावें। वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजन किसी जाकर वादी के हिस्से की जमीन को पृथक रूप से वादी के नाम अंकित फरमाई जावे व उसी अनुसार लगान आदि का निर्धारण कराया जावें। इस हेतु वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन की प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री पारित फरमाई जावें। विभाजन के लिए जो भी औपचारिकताऐ है वह पूरी करवाई जाकर हिस्से अनुसार वादी को स्वतन्त्र आधिपत्य सुपुर्द्व करवाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की पैतृक मौरूसी जायदाद नही है बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की ही पैतृक मौरूसी जायदाद है जो प्रतिवादीगण को उनके पुर्वज नन्दा से प्राप्त हुई है इन भूमियों में वादी का कोई हक अधिकार नही है । तथा वादी द्वारा यह भी गलत वर्णन किया कि बाप दादाओं के समय से चली आ रही है व स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 इस भूमि पर काबिज होकर उपयोग – उपभोग एंव काश्त कर रहे है बल्कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 08 को नन्दा से व नन्दा के बाद देवकिशन मिठु से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है व प्रतिवादी सख्या 01 से 08 ही उक्त भूमि का उपयोग – उपभोग एवं काश्त कर रहै है वादी उपयोग – उपयोग एवं काश्त नही कर रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के पुर्वाधिकारी धन्ना पिता रामा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में मेवाड गोर्मेट के समय से दर्ज नही चली आ रही है और न ही धन्ना इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे थे एवं न ही उनके स्वर्गवास के बाद भूमि धन्ना के दोनो पुत्र नन्दा एवं उदयराम के नाम दर्ज हुई और न ही उन्होने अपने जीवन काल में काबिज होकर काश्त की एवं न ही नन्दा एंव उदयराम के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान को मिली न ही वे उपयोग – उपभोग कर रहे है एवं न ही काश्त कर रहे है न ही पैरा सख्या 01 में वर्णित भूमि में वादी का प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के साथ समान हक अधिकार है एवं न ही वादी का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा है एवं नही प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का 1/2 हिस्सा है बल्कि पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि नंदाजी की थी व नंदाजी से उनके दोनो

पुत्र देवकिशन व मिठु को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई व देवकिशन व मिठु के स्वर्गवास के बाद उनके उत्तराधिकारी प्रतिवादी सख्या 01 से 08 को प्राप्त हुई है उक्त भूमि धन्नाजी के नाम कभी नही रही न ही उक्त भूमि उदयराम व वादी के नाम रही है क्योकि उक्त भूमि के गत भुमाप वादपत्र के पैरा सख्या 2 में अंकित कर रखी है व पैरा संख्या 2 में अंकित कर रखी है व पैरा संख्या 02 में जो गत भू माप के नम्बर 200/1 मीन एवं 196 मीन एवं 197 मीन की कोई खाते नकल वादी ने पेश नहीं की है न ही यह भूमि धन्ना पिता राम की थी । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 उक्त भुमि पर सयुक्त रूप से काबिज नही होकर न ही उपयोग – उपभोग एवं काश्त संयुक्त रूप से कर रहे है एवं न ही पक्षकारान ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है न ही उक्त आराजी में वादी का कोई कुआ है न ही कुएं से उक्त आराजी एंव अन्य आराजी की सिचाई होती है , न ही वहॉ कोई विद्युत कनेक्शन है उक्त विद्युत कनेक्शन जो वादी कहकर आ रहा है वह पहले वादी व प्रतिवादीगण के सयुंक्त आराजी दरिबा खदान की सीमा में आ जाने से मुआवजा वादी ने उठा लिया व वहॉ पर कुआ था उस कुएं के नाम उक्त कनेक्शन है उस कुएं के नम्बर 405 थे। तथा उक्त भूमि पर जैसा कि उपर निवेदन किया जा चुका है कि वाद पत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में उपयोग – उपभोग प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 ही कर रहे है। जब वादी की उक्त भुमि है ही नही तो वहां पर काफि लागत लगाकर विकसित करना एवं हजारो रूपये लगाकर कुआ खोदने का व विद्युत कनेक्शन करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है । बल्कि आराजी सख्या 386 पर जो नया कुआ खोदा है वह वादी व प्रतिवादी सख्या 01 से 08 ने संयुक्त रूप से खोदा है जिससे संयुक्त वाली भूमियां की सिंचाई की जाती है आराजी संख्या 384 व 385 की सिचाई वादी नही करता है क्योकि उक्त भूमियॉ तो अकेले प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की ही है आराजी सख्या 384 , 385 में कोई आराजी चाह स्थिति नही है राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से उक्त पैरा सख्या 01 में वर्णित भूमि में वादी का नाम अंकन होने से नही रह गया है बल्कि उक्त भूमि वादी की नही है न ही वादी मोके पर काबिज है उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा नही होकर सम्पुर्ण भूमि प्रतिवादी सख्या 01 से 08 की ही है । वादी साधिकार पूर्वक इस भूमि पर पिछले 40–50 वर्षो से काबिज होकर उपयोग – उपभोग एवं काश्त नही कर रहा है बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 से 08 ही काबिज होकर उपयोग – उपभोग एवं काशत कर रहे है । वादी का कभी भी इस भूमि पर आधिपत्य नही रहा है न ही उदयराम का रहा है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से नही रह गया है बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 से 08 को उत्तराधिकार के रूप में देवकिशन एवं मिठु से प्राप्त हुई है । प्रतिवादी संख्या 01 से 08 न कभी जानते है एवं न ही स्वीकार करते है कि वादी का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा है और न ही वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है बल्कि वादी का आराजी सख्या 384 , 385 में कोई हिस्सा नही है। वादी को कोई हक अधिकार नही होने से आराजी संख्या 384 , 385 को अपने नाम अंकित कराने का अधिकारी नही है न ही खातेदारी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है वादी ने गलत तथ्यों को आधार बनाकर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है । प्रतिवादी सख्या 01 से 08 कोई नाजायज फायदा नही उठाना चाहते है न ही वादी को किसी प्रकार की कोई धमकियॉ दी है न ही वादी का अधिपत्य है न ही भूमि वादी की है ऐसी सुरत में वादी को बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है वादी प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है न ही उसके लिए निषेधाज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक है न ही वादपत्र के पैरा सख्या 01 में वर्णित भूमी वादी के हक अधिकार एवं हिस्से की है न ही वादी उपयोग – उपभोग कब्जा काश्त कर रहा है । वादी का उक्त भूमि में कोई हिस्सा नही है जिससे वह विभाजन कराने का अधिकारी नही है । वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ है, न ही किसी प्रकार की कोई समझाईश की बात हुई न ही वादी का आधिपत्य है न ही वादी की उक्त भुमियां है जब वादी की उक्त भूमियां नही है तो उसे बेदखल करने की धमकी दिनांक 23/06/2009 को देने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है । वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा वादी इस प्रकार की डिक्री प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नही है ।

उक्त दावें एवं जवाबदावें के अनुसार निम्न तनकीयात कायम की गई ।

तनकी सख्या (1) आया ग्राम दरीबा के वर्तमान आराजी नम्बर 384 व 385 के गत भूमाप के आराजी नम्बर 200/1 मी. 196 मी. 197 मी. थे एवं उक्त भूमिया वादी के मौरूजी होकर उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई है । जिससे 1/2 हिस्से का वादी खातेदारी काश्तकारी घोषित कराने का अधिकारी है एवं विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है। उक्त तनकीयात जिम्मे वादी होकर वादी ने अपनी तनकीयात के समर्थन में गवाह PW-1 कन्हैयालाल के बयान कलमबद्ध किये गये । वादी ने अपने वाद के ताहीद में जमाबदी सवत् 2061–64 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश – 1 है नक्शा ट्रेश प्रर्दश – 2 मिलान खसरा की नकल प्रर्दश–3 व 4 है। जमाबदी सवत् 2014–17 में उक्त भूमि नन्दा पिता धन्ना के नाम दर्ज थी। मिलान खसरा में भी नन्दा पिता धन्ना के नाम दर्ज थी। जमाबदी बंदोबस्त मेवाड में उक्त आराजी नम्बर 200 हिरा धन्ना पिता रामा के नाम दर्ज थी। जिसकी नकल प्रदर्श –5 है, का अवलोकन किया गया ।

(2) आया आराजी नम्बर 384 व 385 में वादी का कोई हक अधिकार नही होकर प्रतिवादी के पुर्वज नन्दा की है जिसमें वादी के पूर्वजों की नही है । तथा वादी ने आराजी नम्बर 200/1 मी. , 196 मी., 197 मी. की जमाबद्वी की नकले पेश नही की जो धन्ना अथवा उदयराम की भूमिया है। जिसमें वादी का कोई आधिपत्य नही है। जिससे वादी का वाद खारीज योग्य है ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह PW-1 कन्हैयालाल के बयान कलमबद्ध किये गये । वादी ने अपने वाद के ताहीद में जमाबदी सवत् 2061–64 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश – 1 है नक्शा ट्रेश प्रर्दश – 2 मिलान खसरा की नकल प्रर्दश–3 व 4 के प्रस्तुत की गयी। तथा प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा के समर्थ में गवाह DW-1 प्रभुलाल के प्रस्तुत की गई एवं दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 प्रदर्श डी 1, भूप्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक प्रदर्श डी2 एवं डी3, मेवाड़ स्टैलमेन्ट की जमाबन्दी बन्दोबस्त डी4, से डी 46 तक के प्रस्तुत की गयी।

उभयपक्ष अधिवक्ता की विस्तृत बहस सुनी गयी पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

<u>तनकी संख्या – 01</u> – उक्त तनकीयात जिम्मे वादी होकर वादी ने अपनी तनकीयात के समर्थन में गवाह PW-1 कन्हैयालाल के बयान कलमबद्ध किये गये । वादी ने अपने वाद के ताहीद में जमाबदी सवत् 2061–64 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश – 1 है नक्शा ट्रेश प्रर्दश – 2 मिलान खसरा की नकल प्रर्दश–3 व 4 के प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि जमाबदी सवत् 2014–17 में आराजी संख्या 200/1 भूमि नन्दा पिता धन्ना के नाम दर्ज थी। मिलान खसरा में भी वादग्रस्त भूमियां नन्दा पिता धन्ना के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–डी 04 से डी–45 के अनुसार जमाबदी बंदोबस्त मेवाड में उक्त आराजी नम्बर 200 बिलानाम दर्ज थी। ऐसी स्थिति में वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपनी उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित कि जाती है।

<u>तनकी संख्या – 02</u> – उक्त तनकीयात का भार जिम्मे प्रतिवादी था। प्रतिवादी ने अपनी तनकीयात के समर्थन में गवाह DW-1 प्रभुलाल के प्रस्तुत की गई एवं दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 प्रदर्श डी 1, भूप्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक प्रदर्श डी2 एवं डी3, मेवाड़ स्टैलमेन्ट की जमाबन्दी बन्दोबस्त डी4, से डी 46 तक के प्रस्तुत की गयी। तनकी संख्या 01 के अनुसार उक्त तनकीयात वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराने में असफल रहा है जिससे वादी का वाद बाबत् घोषणा का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा